उति नोविकीय एवं आवश्यमेष प्रवक्त, क्रम किंट संगट समादती निवास- ताजाप्र विश्वनां जनपर आहेया उन्हें नाववत्र-730275'7448 Haise सहासाहम राज्यवाटा जी उन्टर-प्रय शासन शिंदा-भवता लकायम् इ.प. द्वा-माध्यम - इ- मेर पर संप्रित विवय - भारतीय सविवाम और उ. इ. सरकारी क्रमचरी की आयरण निकावली 1956की अप्रवासनी वरेष-अनुराध-पत HIMAGO, अपया सेटामाय समायर-पड़ां में उनामेट निरूपम उत्तर समायार (मरस्यार अ-येन से मार्क-अलुर-लारमा माउर) का अवलावम कर मामदा का संस्थाम ग्रहण बरेश किसमें आरमा किले के किलार नारी, मुख्य विकास आरकारी अपरिकारिकारी और प्रतिसंज्ञानी कर अपर प्रतिम अस्मिक् अरिया में मिली-साम्रोटक कार्यम की अमिना गड़न कर भारतीय-र्वितिकाम अवट उन्हें . राज्य को सरकारी के मचारी की उसलाय मिरवानावरी-1958 में बीवर्ट धायां की क्वरहरू अवहवान की है। और दवावी संख्या से बह्वां में है। मामवा आवतीय सीम्याम की यार 154- सदय की कात्यालिका शनित् कीमान की में मिरिक हे और उन्ड के अक्षिम स्थ - अपिकारियों के काम स्थान की के काम करकार है तथा उन्ड सक्यारी क्रम यथी की उत्तरका (संहिता) - नियमत्वर्थी - 1956 में असीनस्य उत्तरकारियों अर्थ कामाधीयों के कार्य करने के तरीने वारित हैं। इसके कावाहर प्रदेश में अधिकारी और-काममारी सदाएण दानां की समस्याओं की उपहा कर ने लाकां-मिथा-इलाकों कारि ने यक्कर मारत रहते हैं मीर वनने तरबाता से अनुवार कार्या की आधीनकता देकार तथा कार-केवर (मनीवा) प्रवां का उर्हितिर मह व्यनित गर काल उराम मंद्रमे रिक्टर महोश्य देखानम अपटा-निकाम - तमावार में उन्नीरित समवार में निस व्यक्ति की वार्षिक राय में किला-प्रशासीक महत्वारियों हारा केरियां किया गया है वह SC- ST- अव्यक्ता उर सं 0662/2018 सरकाट बनाम रामराबर मारि व्याना- विकायहर के बादित है और उत्ते पुरुष पवा माट आदि हैं हते विदा - युक्त आदि तको त्या कर (पटि पत्नी विश्व का ताम समुक्षामि आवसी हिट कर देन के कवद्वर विश्वनिकालम् क्ष्यत् -1973 के उति कर क्रांच्य लामित को नामपट आमान्याम मन्त्री स्थापय विविधापट में प्रदातीन हैं जेरेट पार्वीवडाका अने प्रवासकार अतः अत्यत्ये अन्यत्य में के से से अन्यति के अव्याति के वा कार्यकात्मापां से भारतीय सेविकाम और उन्छ सरकार्य कामवर्ष मान्यार लोहरा-1956 के अवस्थानां का द्वाराहर उल्लंबन् का रेपाम ग्रहण कर केरिट कामां कर विरुद्ध राजकि त्रावनाडी क्लांड्ड के उत्क्रय को क्राया की माकावाओं के अपमा कार्डिकारी रंकियान-लिक्स के निकाम्बर्ग कार्य न्यवत्या कार्यक में प्रयान करें विकासकार train - 500 01-5051 2100000 - 12-18-1-2021 & 129-1-2021 an 3 9 12 (march 120 12) तानार निर्देश देशा दलाद्या



स्वामी सुखदेवानंद जी संस्थापक परमार्थ निकेतन ऋषिकेश

श्रीयुत् पूज्य बाबूजी के श्री चरणों में समर्पित

जिसने स्वानुभूति के मन पर दंश सहे होते हैं, वे भामाशाहों के सच्चे अंश रहे होते हैं। परपीड़ा का शमन जिन्हें जिम्मेदारी लगता है, पक्ष सत्य का रखना जिनको खुद्दारी लगता है। शिक्षा-सेवा में जो जन सर्वस्व निछावर कर दें, पर सेवा में एकनिष्ठ जो घरती अम्बर कर दें। 'ऊषा' का सानिध्य, ज्योति का उनमें बल होता है, मर्यादा का और पराक्रम का सम्बल होता है। सारे जग में सहज प्रतिष्ठा वंत वही होते हैं, 'श्रीयुत रामशंकर जी' जैसे संत वही होते हैं। ऐसे पुरखों की स्मृति को सब सलाम करते हैं, पूजनीय 'बाबू जी' को हम सब प्रणाम करते हैं।

शब्दाहुति-अजय शुक्ल अजाम

मुख्य अतिथि सुनील कुमार वर्मा जिलाधिकारी श्री अशोक बाबू मिश्रा मुख्य विकास अधिकारी

√विशिष्ट अति एम.पी. सि अपर जिलाधिकारी (न श्री शिष्य पा अपर पुलिस अधी

विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्य दिबियापुर-औरैया

अवतरण 07/01/1937

विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्यालय, दिबियापुर, औरैया क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक

की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धाजंलि सभा का आयोजन एवं उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर डाक्यूमेंट्री फिल्म का प्रव

परमपूज्य बापू जी का जीवन सदैव समाज एवं शिक्षा जगत के लिए समर्पित रहा। समाज को सही दिशा देने के साथ ही हमें सदैव ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी। जीवन के उतार-चढ़ाव में खट्टे मीठे अनुभव में भी डिगने नहीं दिया और सन्मार्ग पर चलने का सदैव आशीर्वाद दिया। गोलोव माताजी की पूजा तपस्या ने हम सबको काबिल बनाया तो बाबूजी के आशीर्वाद ने स्वाभिमान व पहचान दिलाई। जीवन में सब कुछ अपने में समेट कर आसमान की पूज्य पिताजी को शत्शत् नमन् कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजिल देता हूं और शपथ लेता हूं कि जीवन में पथ पर सदैव बाबूजी के दिखाए सन्मार्ग पर ही चलता रहूंगा। आज हम सबको खलती है आप हमसे एक तरह दूर है लेकिन आपका एहसास हर पल होता है। वह सुबह की जल्दी आपका उठना व डांट फटकार सब कुछ याद है। आप महिल करिय के बोध को मैं नहीं अना है। आपके विचार हम सबमें सदैव विद्यमान रहेंगे। एक दिव्य प्रकाश था हमारे कर्मयोगी बाबुजी में जिनके ह

भारी गडबड़ी कर रहे हैं।

आ ग्यलकर जिंकल आई और सस्ता भटक गई। पंचायत निर्वाचन सूची 2020 -21 में बच्चियों की तलाश में स्वजन इधर-उधर भटक रहे थे। कदरकोट चौकी

सुबह कुदरकोट पुलिस चौकी पर बुलाया और दोनों ही बच्चियों को उनके सपुर्द कर दिया।

शिक्षाविद रामशंकर गुप्त की पृण्यतिथि पर वितरित किए गए केवल

गरीब की सेवा ही सबसे पुनीत कार्य -डीएम

विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय वे संस्थापक व गांधी विचारक शिक्षाविद स्व. रामशंकर गुप्ता उर्फ बाबू जी की प्रथम पुण्यतिथि पर जरूरतमंद को निरशुल्क कंबल वितरित किया गया। सोमवार को महाविद्यालय में . हुए आयोजन में कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. विनीत त्रिपाठी ने रामशंकर गुप्त के कृतित्व व व्यक्तित्व के बारे में बताया। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ हीएस सुनील कुमार वर्मा, एसपी अपर्णा गौतम व सीडीओ अशोक बाब मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण कर किया। इसके बाद स्व. रामशंकर गुप्त के चित्र पर पुष्प आर्पित कर उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की। सात मिनट की डॉक्य्मॅट्री फिल्म में स्व. रामशंकर गुप्त के संघर्षों व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयासों को दर्शाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि बाब जी ने जो संघर्ष किया है उसे आर्ग बढ़ाए रखना है। लोक सेवा के उनके सपने को हमें मूर्तरूप देना है। एसपी अपर्णा गीतम ने कहा कि 1972 में खुले इस महाविद्यालय में कईयों का जीवन सुधरा होगा। बाबू जी ने जिस ध्येय से इसकी स्थापना की उससे सैकड़ों युवाओं को अनेकानेक अवसर भी मिले होंगे। उनके संघर्षी को लोग हमेशा याद रखेगा। सीढीओ



कंबल वितरित करते क्रीएम सुनील कुमार वर्मा (बीच मे), एसपी अपूर्णा गीतम (बाएं से दूसरी) सीडीओ अशोक बाब मिसा (बार) व साब में प्रबंधक राजेश गृता o



कार्यक्रम में मी.जूद गणमान्य नामरिक व पीछे पक्ति में बेटे लोग 🍨 अजला

अशोक बाबू मिश्रा ने कहा कि गांधी विचारक सादगी पूर्ण होते है। उन्होंने गांधी दर्शन और पश्चिमी सभ्यता पर तुलना कर जानकारी दी। कहा कि बाबू जी के जीवन वृत सादगी से भरा पड़ा है। इससे पूर्व सभी अतिथियों का माल्यापण कर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गवा। प्राचार्य हॉ. इंप्तिखार हसन ने कालेज के बारे में जानकारी दी। प्रबंधक राजेश गृप्ता दे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सुरेश मित्रा,

सुनील गुप्ता,पवन गुप्ता, शिवप्रताप सिंह, आशीष सविता,अमित चौबे, राजेश उर्फ मुन्ना शुक्ला, प्रो. इकरार अहमद, डॉ. राकेश तिवारी, डॉ. संदीप ओमर, डॉ. ममता शुक्ला, श्रीमती मधु गुप्ता,भावना गुप्ता, शुभ गुप्ता, रुद्र गुप्ता, महेश पांडेय, प्रशांत तिवारी, रेनू गुप्ता, सौरभ गुप्ता आदि स्टाफ व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करणाशंकर तिवारी ने को और संचालन अजब शुक्ला ने किया।

	STATE STATE OF THE PARTY OF	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
	विनाक तथा समय	अपराह् १:०० से अपराह्न १:३० वर्ज तक	अपराज्ञ 2:30 से अपराज्ञ 3:00 बन
-	18-01-2021 सोमवार	मिरान शक्ति महिला संशक्तिकरण आत्मरबा प्रशिक्षण भाग-2	manthem Com
	18-81-2821 मंगलवार	मिशन शक्ति महिला संशक्तिकरण आत्मरका प्रशिवाण भाग-3	अखेजी अखाय-4 Socrates भाग-1
	21-01-2021 गुरुवार	मिरान शक्ति महिला संशक्तिकरण आत्मरका प्रशिक्षण भाग-4	मणिस अध्याय-14 सारियकी भाग-1
	22-01-2021 शुक्रवार	हिन्दी अध्याय-4 मेवाइ मुकुट साग-1	गणित अध्याय-14 साठिवकी भाग-3
	नोट : p		10 VIII 487 / NO.

नोट : DD-UP, अब आप इन वैनलों पर भ बिग टीवी-250, एयरटेल-4

चैनल e vidya-9 पर कक्षा-9 एवं चै

1		अर Muya-9 पर कक्षा-9 एवं चैनत		
142	र्य विनांक तथा समय	किया		
		प्रातः ८:३० से प्रातः ९:०० बजे तक		
0-	18-81-2021 सोमवार	असेजी अध्याय-3 Primary Auxiliaries (Words and Expressions-1 Workbook) भाग-1/2 सामाजिक विद्यान अध्याय-5-अपह-2 आधुनिक विश्व में परवाहे (इतिहास-भारत और समकालीन विश्व)		
19201	19-01-2021 मंगलवार			
51-31	21-01-2021 गुरुवार	उत्सेणी अख्याय-3 Primary Auxitiaries (Words and Expressions-1 Workbook) आण-2/2		
3	22-01-2021 शुक्रवार	सामाजिक विद्यान अध्याय-5-साण्ड-2 आयुनिक विश्व में चरवाहे (इतिहास-भारत और समकालीन विश्व)		

阿阿-2/2 नोटः e vidya-9, जियो टीवी एप, डिश टीवी चैनल-950, e vidya-11, जियो टीवी

माध्यमित

PART VI

THE STATES [""]

GENERAL

152. Definition.—In this Part, unless the context otherwise requires, the expression "State" ²[does not include the State of Jammu and Kashmir].

THE EXECUTIVE

The Governor

153. Governors of States.—There shall be a Governor for each State :

³[Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States].

- 154. Executive power of State.—(1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
 - (2) Nothing in this article shall-
 - (a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or.
 - (b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.
- 155. Appointment of Governor.—The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.
- 156. Term of office of Governor.—(1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
- (2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
- (3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

भाग 6

अध्याय ।

साधारण

152. परिभाषा—इस भाग में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यवा अपेक्षित न हो, ''राज्य' यद शुके अनर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।।

अध्याय 2 कार्यपालिका

ाज्यपाल

153. राज्यों के राज्यपाल-प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा

े[परन्तु इस अनुष्येद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल क्रियुक्त किए जाने से निवारित नहीं कोगी।]

54. राज्य की कार्यपालिका शक्ति—(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और यह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्य अधिकारियों के द्वारा करेगा।

- (2) इस अनुव्योद की कोई बात-
- (क) किसी विद्याल विश्व द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अन्तरित करने वाली नहीं समझी आएगी; गा
- (ख) राज्यपाल के अभीनत्म किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद् या राज्य के विधान भणवाल को विधारित नहीं करेगी।
- 155. राज्यपाल की विश्ववित राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुवन करेगा।
- 156. राज्यपाल की पदावधि (1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- (2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
- (3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद प्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :
 - संविधान (सातवी संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 'पहली अनुसूची के धारा का में के' शब्दों का लीप किया गया।
 - संविधान (सातवाँ संशोधन) आधानियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 'का अर्घ प्रथम अनुसूची के भाग क में उत्तिस्थासित राज्य है' के स्थान वर प्रतिस्थापित।
 - 3. संविधान (सातवी संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा बोड़ा गया।

The words "IN PART A OF THE FIRST SCHEDULE" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, section 29 and Sch.

^{2.} Subs. by section 29 and Sch., ibid, for "means a State specified in Part A of the First Schedule".

^{3.} Added by section 6, ibid.

associated college shall except with the previous approval of the '[State Government], be authorised to impart instruction for post-graduate degrees:

Provided that if an associated college is refused recognition for imparting instruction for post-graduate degrees, such college may, with the approval of the ¹[State Government], be granted affiliation by any University referred to in Section 37, anything in Section 5 notwithstanding, and thereupon, such college shall cease to be an associated college.

- (5) Except as provided by this Act, the Management of an associated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such college shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.
- (6) The Executive Council shall cause every associated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding three years by one or more persons authorised by it in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.
- (7) The recognition of an associated college may, with the previous sanction of the ¹[State Government], be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering any explanation furnished by the management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council.
- ²[(8) Notwithstanding anything in this section or in Section 5, any associated college situated within the area of any University to which this section applies, may, subject to such directions, as may be issued by the State Government in this behalf, be admitted to the privileges of affiliation by any University to which Section 37 applies.]
- 39. Disqualification for membership of Management.—A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or by local authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for such college:

Provided that nothing in this section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the college or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or of a hall or hostel of the college or as a proctor or tutor or for any duties, of a similar nature in relation to the college.

Explanation.—In

- 40. Inspection, a Government shall be person or persons a including buildings examinations, teached inquiry to be made and finances of such and finances of such as a second seco
- (2) Where the set be made under subrepresentative appoint a representative appoint a represent
- (3) The person or shall have all the pothe Civil Procedure, enforcing the attenda and material objects of Sections 480 and proceedings before within the meaning.
- (4) The State Go of such inspection or and the Management
- (5) The State G
- (6) The State Con the Management or I with such inspection
- 41. Constituent on named by the Status
- (2) The Principal discipline of the state over the ministerial such other powers at
- prescribed, to an affi prescribed in that be

Subs. by U.P. Ordinance No. 5 of 2007, Published in U.P. Gazette Extra Part 2 Section (Ka) dated 2nd June, 2007.

^{2.} Subs. by U.P. Act 19 of 1987.

^{1.} Now CrPC 1873 C

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण-नियमावली, 1956

(राजाज्ञा स0 - 957 / कार्मिक- 1/1998 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित)

> नियुक्त (B) विभाग विविध

संख्या- 2367/118-BII-54 दिनॉक : 21 जुलाई, 1956

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग मरके, पुत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के आधरण को विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:

uo प्रo सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित)

- 1 संक्षिप्त नाम—ये नियम "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956" कहलायेगी।
 - 2-परिभाषायें-जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ न हो, इन नियमों में-
 - (क) "सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है.
- (ख) "सरकारी कर्मचारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से हैं, जो उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण—इस बात के होते हुये भी कि उस सरकारी कर्मचारी को वेतन उत्तर प्रदेश की शायत निधि के अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है, ऐसा सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

- '(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे :—
- (i) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी उसका पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री या अविवाहित सौतेली पुत्री चाहे वह उसके साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी में सम्बन्ध में, उसके साथ रहने या न रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहिता पुत्रियों या अविवाहित सौतेली पुत्रियों, तथा :
- (ii) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो उक्त सम्बन्ध से या विवाह द्वारा, उक्त सरकारी कर्मचारी का सम्बन्धी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो, और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पित सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक् की गई हो/पृथक् किया गया हो या ऐसा पुत्र, सौतेला किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा, विधत कर दिया गया हो।

- 3. सामान्य—(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों में, परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य प्रायणता से कार्य करता रहेगा।
- (2) प्रत्येक सरकारी कर्मवारी, राभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त विशिष्ट या ध्वनित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आवरण नियमावली-1956 स्पष्टीकरण-1 इस नियम के प्रयोजन के लियें. के अन्तर्गत उसके पत्नी, बच्चों तथा सौतले बच्चों और बच्चों से है और इसके अन्तर्गत उसके जनक बहिने, भाई, भाई पत्ना, बच्चा तथा तातल बच्चा आर बच्चा से हैं और 2 बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वें उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्ण स्पार्टीकरण-2 इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी वही होगा, जैसा कि नी

आश्रित हों।

विभागाध्यक्ष, या मण्डलायुक्त या कलेक्टर के लिये ...राज्य सरकार दिया गया :-उच्च न्यायालय का प्रशासकीय प जिला जज के लिये ..सम्बन्धित विभागाध्य

अन्य सरकारा कमचारया क लियं 19. किसी सम्बन्धी, रिश्तेदार के विषय में कार्यवाही —(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी, कि ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जो उसका सम्बन्धी हो, जन्मा है जह सम्बन्ध दूर का या निकट का हो. प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे वह प्रस्ताव, मत कार्यवाही उ प्रस्तान या गरा अरपुरा करता है या काई अन्य कायवाहाँ प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के सम्बन्धी के पक्ष में हो अथवा उसके विरूद्ध हो, तो वह प्रत्यका सम्बन्धी के यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष है ?

उसका ऐसा सम्बन्धी है, तो इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है?

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आदेश के अनुसार, कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्त (2) जब किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तिम रूप के सम्बन्ध में है के सम्बन्ध में है मत या किसा जा प प्राथवाहा क सम्बन्ध में अन्तिम रूप के सम्बन्ध में है, जो उसका सम्बन्धी है प वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष वाव मत या कार्यवाही वह प्रश्ताव, नत वा काववाहा, किसा एस व्यक्ति विशेष्ट्रीय मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष्ट्रीय सम्बन्ध दूर का या निकट का हो, और चाहे उस प्रश्तीय नहीं देगा क्रिक पर अनुकूलता प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा, वह कोई विशेष परवह उसके वे उस मामले को आ पर अनुपूर्वता अनाप पड़ता हा या अन्यथा, वह कोई। ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा सम्बन्ध वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रस्तुत कर देगा। और साथ ही स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

20. सट्टा लगाना—(1) कोई सरकारी कर्मवारी किसी लगी हुई पूँजी में सट्टा नहीं लगायेग स्पष्टीकरण—बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत खरीद या बिक्री के सम्बन्ध

यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में लगी हुई पूंजियों में सट्टा लगाता है। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभृति या लगी हुई पूँजी उप-नियम (1) में निर्धि

स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा विकास करें 121. विनियोग (लगाई हुई पूँजियाँ)-(1) कोई किसी सदस्य को जाने केई पूँजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के की सम्भावना के

सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रमाव पड़ने की सम्भावना हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूत अन्तिम होगा।
है अथवा नहीं तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय वह नियक्त है उप कोई हिन्स उदाहरण-कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह नियुक्त है, अपनी पत्नी या अपने प को, कोई सिनेमा-गृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा अर्थन के सहका प्रति वेगा और यदि वह जिले को स्थानान्तरित कर दिया जाता है जहाँ उसके परिवार के सदस्य पहिले ही ऐसा विनियोग व युका है तो, वह अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को अविलम्ब सूचित करेगा।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956

122. उधार देना और उधार लेना-(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जबिक गार्व रामुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके **बार्यकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर,कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रुपया उधार नहीं लेगा और** न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उधार देगा।

किन्त प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी सरकारी नौकरी को, अग्रिम रूप में वेतन ा मामता है या, इस बात के होते हुये भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या सम्बन्धी) उसके प्राधिकार ना प्यानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है वह अपने किसी जातीय मित्र या सम्बन्धी को, बिना माज जे, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म 🖷 गांध साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं में मीतर रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति विताय आधार के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी **मी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने** की अनुमति देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र व सम्बन्धी से अपने दो मार में गुल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर ••• मा है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार लेखा चला सकता है।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्त या स्थानान्तरण पर भेजा जाम जिसमें उसके द्वारा उपनियम (1) या उप-नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, ा। पर पुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट मेंज देगा, और उसके बाद ऐसे आवेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दे।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो गजटेड अधिकारी है, समुचित प्राधिकारी सरकार और दूसरे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

23. दिवाला और अभ्यासी ऋणग्रस्ताा—कोई सरकारी, कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मामलों का पा। प्रवश करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवाला से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध उसके दिवालिया होने के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, उसे चाहिये Im यह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को, जिसमें वह नौकरी कर रहा हो, सब बातों बा रिपोर्ट भेज दे।

24. चल अवल एवं बहुमूल्य सम्पत्ति—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जबिक मुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्ण जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी मार्थ जे नाम से पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अवल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्याति प्राप्त व्यापारी से बाक्ति द्वारा संपादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

चदाहरण-"क" जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे गामुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना ये देनी चाहिये। यदि वह व्यवहार, किसी नियमित और

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956

· 3—कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की प्रतिषेध— (1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य

प्त नहा हागा।
(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्य स्थल पर किसी

में संलिप्त नहीं होगा।

महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। क यान उत्पाइन का राज्याजनों के लिए 'यौन उत्पीड़न' में प्रत्यक्षः या अन्यथा कामवासना स्पष्टीकरण—इस नियम से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि-

(क) शारीरिक स्पष्टी और कामोदीप्त सम्बन्धी चेष्टाएँ

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) कामवासना-प्रेरित किंदियाँ,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(अ) यौन सम्बन्धी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण। (ङ) यान सम्बन्धा काश व्यवहार-प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी लोगो के साथ, चाहे वे किसी

भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों न हों, समान व्यवहार करेगा। त, पथ या धम क क्या कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

24-क. मादक पान तथा औषधि का सेवन-कोई भी सरकारी कर्मचारी--क. मादक पान () (क) किसी क्षेत्र में, जहाँ वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी प्रवृत्त किसी

विधि का दृढ़ता से पालन करेगा।

ा दृढ़ता स पालन कर के दौरान किसी मादकपान या औषधि के प्रभावधीन नहीं होगा और (ख) अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी भी समग्र उसके कर्जा के (ख) अपन कर्तव्य पाटा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार ऐसे इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी होता है।

पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। भवज क प्रभाव स प्र^{भा} में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विस्त रखेगा.

(घ) मादक पान करके किसी सार्धजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा,

(ध) भादक पान कर्व या औषधि का प्रयोग अत्याधिक मात्रा में नहीं करेगा।

(ङ) किसा भी मादक^{था} नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या स्पष्टीकरणः (i)—इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या स्पष्टाकरणः (i) हर सवारी भी है, जहाँ भुगतान करके या अन्य प्रकार से जनता जा सकती

हो या उसे आने जाने-की अनुझा हो।

स्पष्टीकरण (ii) कोई गोष्टी (क्लब) — स्पर्टीकरण (ii)—कार (क) जो सरकारी कर्मवारियों से भिन्न व्यक्तियों की सदस्यों के रूप में प्रवेश देती है, अथवा,

(क) जो सरकारों के उसके अतिथि के रूप में आमन्त्रित करते हैं यद्यपि सदस्यता (ख) जिसके सदस्य ग्रें न हो

ा सवका तक हा साम्प्र यह भी स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए ऐसा स्थान माना जायेगा जिसके लिये जनता की पहुँग सरकारी सेवकों तक ही सीमित क्यों न हो.

हो अथवा पहुँच के लिये अनुबन्त हो।

वा पहुंच के लिये अउ^क में हिरसा लेना—(i) कोई भी सरकारी कर्मवारी किसी राजनीतिक 5. राजनीति तथा ^{धुनाव} में हिरसा लेनी है अरकारी कर्मवारी किसी राजनीतिक ड. राजनीति तथा प्राणीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उसरी पुल का या किसा सरथा की ऐसे अन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसके सहायतार्थ चन्यू सम्बन्ध रखेगा और न वह किसी ऐसे अन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसके सहायतार्थ चन्यू

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956

वंगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित प्रति सरकार के उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती हैं।

राज्य में "क", "ख", "ग" राजीतिक दल है। "क" वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है। "अ" एक सरकारी कर्मचारी है।

इस उपनियम को निषेधाज्ञा 'अ' पर सभी दलों के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिसमें "क" दल भी है जिसके हाथ में सत्ता है, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को ०भी अन्दोलन या क्रिया में जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक । या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा के या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और उस दशा में जबकि कोई गरकारी कर्मचारी अपने परिवार से किसी सदस्य को किसी ऐसे अन्दोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, गाग्यतार्थं चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो यह इस आशय **ा** एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

क एक सरकारी कर्मचारी है। में > अ

"ख" एक परिवार का सदस्य है, जैसे उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

"म" वह आन्दोलन या क्रिया है, जो प्रयक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति वार्यक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

"क" को विदित हो जाता है कि इस उपनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, "म" के साथ "ख" का गामक आपत्तिजनक है। "क" को चाहिये कि वह "ख" के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि "क" के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इंस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज बेमा बाहिये।

1(3) [x x x]

"If any question arises whether any movement or activity falls with in the scope of this rule, the decision of the Government thereon shall be final."

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में, न तो मतार्थन करेगा, न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें हिस्सा लेगा,

किल प्रतिबन्ध यह है कि-

(i) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अधिकार अधिकार mi प्रयोग करता है वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने मा विवार किया है अथवा किसी ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(ii) केवल इस कारण से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा याद्रसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोदित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंधन किया है।

10—चन्दे—कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी ऐसे धर्मा प्रयोजन के लिये चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता माँग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उर्इकट्ठा करने में भाग ले सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगित के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इनके अतिरिक्त किसी भ अन्य प्रयोजन के लिये चन्दा आदि माँगे।

111-मेंट-कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के ज़बकि उसने सरकार की पूर्व स्थीकृति प्राप्त कर ली हो-

(क) रवयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसव निकट सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रहं धन पुरस्कार स्वीकार नहीं होगा।

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसव निकट सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी जातीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दसा या उससे कम मूल्य का एक विवाहोहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहा रवीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकत है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे इस प्रकार के उपहारों को दिये जाने को भी रोक का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक करने के नागरिक यह निश्चय करते हैं 'क' को, जो एक सब डिवीजन अफसर है, बा के दौरान उसके द्वारा की गयी सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी मेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उस मूल वेतन के दसांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना 'क' उक्त उपहार स्वीक नहीं कर सकता है।

11.क-कोई सरकारी कर्मचारी-

- (i) न तो दहेज देगा या प्राप्त करेगा या दहेज लेन देन को प्रेरित करेगा, अथवा
- (ii) वधू या वर जैसी भी दशा हो के माता-पिता अथवा अभिभावक से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः को दहेज की माँग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिये दहेज शब्द का अर्थ है जो दहेज निषेध अधिनिया 1961 में दिया गया हैं।

- ²12 चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भेंट इत्यादि का लिया जाना (निरस्त)
- 13-रीतिका समारोहों में कर्णिकी इत्यादि का उपहार स्वरूप किया जाना-(निरस्त)
- 14-सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन-कोई सरकारी कर्मचारी, सिंवा उस दशा के जबिक उसने सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मान-पत्र या विदाई-पानहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचार के सम्मान में अयोजित किसी समा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के सम्बन्ध में लागू न होगी जो सारतः निजी तथा अरीतिका स्वरूप का हो और जो किसी सरकारी कर्मचारी व सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने या बदली के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति व सम्मान में अयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

portore

उदाहरण

क जो एक डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। "ख" जो जिलें में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर क क वामान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुये व्यक्ति आमन्त्रित किये गये हों।

118. असरकारी व्यापार या नौकरी—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि 1119 सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में 111 आग्रेमा और म ही कोई नौकरी करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामिक मा प्रमाध प्रकार को अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यक, कर्लात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का सामिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में अपना गरी प्रजता है तथा वह ऐसे कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष का भाग प्राप्त विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे समाय का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने हाथ में ले लिया में बन्द कर देगा।

किन्तु अवतर प्रतिबन्ध यह है किन्तु सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा । असरकारी आधार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना । असरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायेगी।

18 (क) पीवह वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार के सम्बन्ध में प्रतिबोध—कोई सरकारी क्रमेगारी भीवत वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी परिसंकटमय कार्य में न तो नियोजित करेगा, व समाप्ता था ऐसे बच्चे से बेगार या इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम नहीं लेगा।

*16. कम्पनियों का निबन्धन, प्रवंतन तथा प्रबन्ध-कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि जसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन प्रवर्गन या प्रबन्ध में भाग लेगा, जो इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भाग विधि के अधीन निबद्ध हुआ है।

किन्तू प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी कर्मचारी को को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट 1965 (यू० कि एक्ट रां0 11. सन् 1966) के अबीन या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी सहकारी समिति वा बोबाबटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट संo 21, 1860) या किसी तत्स्थानीय प्रवृत्त विधि के अधीन विवय किसी साहित्यक, वैज्ञानिक या धमार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

अप्रतेर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के अप में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय में उपस्थित हो तो वह उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय में उपस्थित हो तो वह उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के लिये भाग ले सकता है।

17. बीमा कारोबार—कोई सरकारी कर्मचारी, अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य सम्बन्धी को जो या तो उस पर पूणतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो उसी जिले में, जिसमें वह तैनात हो, बीमा अधिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।

18. अवयरकों का संरक्षकत्व—कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयरक के अतिरिक्त, किसी अन्य अव्यस्क के शरीर या सम्पत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगा।

¹⁻ संख्या-957/कार्मिक-1/1998 लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित।

²⁻ अधि०सं०-9/7/78-कार्मिक-1 दिनांक 20 नवम्बर, 1980 निरस्त किया गया।

[।] संख्या-957/कार्षिक-1/1998 लखनऊ दिगांक 17 अक्टूबर, 1938 द्वारा संशोधित।

² संख्या-13/5/98-कार्गिक-1/2002 लखनऊ दिनांक 9 अस्पस्त, 2002 द्वारा घढाया गया।

³⁻ संख्या-9-7-78-कार्षिक-1 दिशाक 20 गवन्तर, 1980 द्वारा संशोधित।